भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी वकास और गंगा संरक्षण वभाग

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **2477**

दिनांक **10** अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

.....

कर्नाटक में ऊपरी भद्रा नदी के पानी का बँटवारा

2477. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या कृष्णा जल ववाद न्याया धकरण-1 और कृष्णा जल ववाद न्याया धकरण-2 ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लए एक भी टीएमसी जल का आवंटन नहीं कया है;

(ख) क्या कृष्णा जल ववाद न्याया धकरण-2 का अ धनिर्णय अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्नाटक ऊपरी भद्रा परियोजना का निर्माण करके 29.9 टीएमसी जल के अन्यत्र प्रवाह की योजना बना रहा है और क्या सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क उक्त परियोजना के कारण एचएलसी (ऊपरी नहर), एलएलसी (निचली नहर) तथा केसी नहर आयाकट के कसान गंभीर रूप से प्रभा वत हो रहे हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2023 में उच्चतम न्यायालय में एक वशेष अनुमति या चका (एसएलपी) दायर की है; और

(च) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय में एसएलपी लंबित होने के बावजूद सरकार द्वारा उक्त परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (च): कृष्णा जल ववाद न्याया धकरण (केडब्ल्यूडीटी-I) ने 1976 के अपने निर्णय में, बे सन राज्यों के बीच कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ, उनके लाभकारी उपयोग के लए 75% निर्भरता पर उपलब्ध पानी अर्थात 2060 टीएमसी और रिटर्न प्रवाह के रूप में अर्थात 70 टीएमसी का आवंटन कया था। केडब्ल्यूडीटी-1 ने कर्नाटक राज्य को 734 टीएमसी (75% निर्भरता पर 700 टीएमसी; वापसी प्रवाह के रूप में 34 टीएमसी) आवंटित कया था। इसके अतिरिक्त, केडब्ल्यूडीटी-II अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है।

कर्नाटक सरकार ने ऊपरी भद्रा परियोजना के लए 29.90 टीएमसी पानी आवंटित कया। मूल्यांकन के दौरान, इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग ने यह पाया क कर्नाटक द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना के तहत प्रस्ता वत पानी का उपयोग केडब्ल्यूडीटी-I द्वारा राज्य को कए गए आवंटन की सीमा के भीतर है। तदनुसार, इस मंत्रालय की संचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की सलाहकार स मति द्वारा इस पर वचार कया गया और परियोजना को अंतर-राज्यीय ष्टिकोण से स्वीकार्य पाया गया।

ऊपरी भद्रा परियोजना को कर्नाटक सरकार द्वारा कार्यान्वित कया जा रहा है और आंध्र प्रदेश सरकार ने फरवरी, 2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऊपरी भद्रा परियोजना के निर्माण के वरुद्ध एक वशेष अनुमति या चका (एसएलपी) दायर की थी।

*****